न्याय आपके द्वार — क्रमांक 88/18 — प्र.क्र. 162/2018

6-6-18 पत्रावली सामान्य लोक अदालत
दौसा की तरफ कैम कोर्ट सिकन्दरा में पेश हुई।
वादी रामजीलाल कैम कोर्ट में उपस्थित।
वादी रामजीलाल को सुना गया। पत्रावली एवं
पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन
किया गया तथा पूर्व में दिनांक 6-4-18 को प्रस्तुत
राजीनामा का भी अवलोकन किया गया।
वादीगण के द्वारा वाद में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के
अनुसार उक्त वाद ग्रस्त भूमि जमाबन्दी
(खेवट खतौनी) ग्राम बड़ौली सं. 2013 से 2036 में
बि.नं. 962 रकबा 1.11 बीघा मूल्या वन्द रेख
के नाम दर्ज रिकार्ड है। मूल्या वादीगण काश्तकार
है। इससे वाद ग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक
भूमि होना पाया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादी
बीरा के द्वारा दिनांक 6-4-18 को राजीनामा
की प्रेमभाव तस्दीक हो चुका है। अतः मुताबिक
राजीनामा के वादीगण का वाद स्वीकार किया
जाता है। वाद ग्रस्त भूमि बि.नं. 2245 रकबा
0.35 है। वाके ग्राम बड़ौली के वादीगण रामजीलाल
घासी, मिरजू पुत्रान मूल्या मीणा गुर्जर को
खातेदार घोषित किया जाता है। राजीनामा निर्णय
का भाग रहेगा। अमल हेतु पत्रावली पर डीसा
को तहरीर जारी हो। पर्चा डिक्री जारी हो। प्रकरण
कैमल नम्बर से खारिज हो तथा वाद
तकमील प्रविष्ट लोक अदालत हो। निर्णय सामान्य
लोक अदालत कैम कोर्ट सिकन्दरा के मजमून आम
में लिखकर जाकर सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
दौसा